Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- उदयपुर मे हैड कानिस्टेबल 1000/- रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, दिनांक 04.08.2025 सोमवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, यूनिट उदयपुर द्वारा आज कार्यवाही करते हुए संजय कुमार मीणा हैड कानि पुलिस थाना गोवर्धन विलास उदयपुर को न्यायालय परिसर में **1000/- रूपये** की रिश्वत की राशि लेते हुऐ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** ने बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, यूनिट उदयपुर को एक शिकायत इस आशय की प्राप्त हुई थी कि मैं प्रार्थिया के पति को कल दिनांक 03.04.2025 को गोवर्धन विलास थाने की पुलिस सुबह 6.30 बजे घर से पकड कर ले गई थी। मेरा पुत्र सुबह ही काम पर चला जाता है। मैं मेरे पति को छुडवाने के लिये लगभग 10 बजे थाना गोवर्धन विलास गई थी जहां हमारे गांव के मुखिया भी अपने भाई को छुडवाने के लिये आये हुए थे। मैंने मुखिया को पुलिस वालों द्वारा मेरे पति को थाने में बन्द करने की जानकारी दी और उनसे मेरे पति को छुडवाने में मदद करने के लिये कहा। इस पर मुखिया ने थाने में सम्पर्क किया तो पता चला कि मेरे पति को संजय कुमार मीणा हैड कानिस्टेबल ने कच्ची शराब के मुकदमे में बन्द किया है। जबकि मेरे पति के पास से कोई शराब बरामद नहीं हुई थी। मुखिया ने थाने में संजय कुमार मीणा हैड कानिस्टेबल से मेरे पति को छोडने की बात की तो संजय कुमार मीणा ने कहा कि फाईल मेरे पास ही है। मैंने उसे कच्ची शराब के मुकदमे में बन्द किया है। आज रविवार है, अगर आज परिवादिया के पति को पेश करेंगे तो उसकी जमानत नहीं होगी। आप 2000/-रूपये दे दो, तो उसके पति के साथ न तो मारपीट होगी और मैं कल ही उसकी जमानत भी करवा दूंगा। संजय कुमार मीणा ने अगले दिन सुबह 10.00 बजे रूपये लेकर थाने पर आने के लिये कहा।

परिवादिया द्वारा दी गई सुचना का भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चौकी उदयपुर द्वारा सत्यापन करवाया गया तो आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग की पुष्टि हुई तथा सत्यापन के दौरान आरोपी संजय कुमार मीणा हैड कानि पुलिस थाना गोवर्धन विलास उदयपुर द्वारा सहपरिवादी (मुखिया) से 1500/-रूपये रिश्वत के रूप में प्राप्त किये गये।

आज दिनांक 04.08.2025 को **श्री प्रहलाद सिह कृष्णिया उप महानिरीक्षक पुलिस**, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर रेन्ज के पर्यवेक्षण में **श्री अनन्त कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक**, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर के निर्देशानुसार **श्री नरपत सिह, पुलिस निरीक्षक**, चौकी उदयपुर मय टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुए श्री संजय कुमार मीणा हैड कानि पुलिस थाना गोवर्धन विलास उदयपुर को न्यायालय परिसर उदयपुर में 1000/- रूपये की रिश्वत की राशि लेते हुऐ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।